

कार्यालय जिलाधिकारी, चित्रकूट।

संख्या : /जि0आ0अधि0/चित्रकूट/व्यवस्थापन 2021-22/ई-टेंडर/दिनांक-मार्च 10, 2021

ई-टेंडर (आबकारी विज्ञप्ति)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 18075-18275/टास्क फोर्स-2/ई-लाटरी /2021-22/दिनांक मार्च 16, 2021 के द्वारा ई-लाटरी प्रक्रिया के तृतीय चरण व्यवस्थापन के पश्चात अव्यवस्थित भाग की फुटकर दुकानें जिनका तृतीय चरण तक व्यवस्थापन नहीं हो पाया है, का वर्ष 2021-22 हेतु, चतुर्थ चरण का व्यवस्थापन ई-टेंडर/ऑफर के माध्यम से कराया जाएगा। ई-निविदा को बेबसाइट etender.up.nic.in से ऑनलाइन डाउनलोड कर आवेदन किया जा सकता है।

वर्ष 2021-22 हेतु ई-टेंडर के माध्यम से व्यवस्थित की जाने वाली दुकानों का विवरण

भाग दुकान:- 1-मऊ

उक्त दिये गये निर्देशों के तत्कम में ई-टेंडर/ऑफर हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है-

- 1- भाग दुकान हेतु प्राप्त आफर में सर्वाधिक लाइसेंस फीस, के ई-टेंडर/आफर को स्वीकार किया जायेगा। यदि दो या दो से अधिक समान अधिकतम ई-टेंडर/आफर प्राप्त होते हैं, तब जनपद स्तर पर ही मैनुवली लाटरी के माध्यम से ऐसे समान ई-टेंडर/आफर में से एक को चुन कर व्यवस्थापन कराया जायेगा।
- 2- समस्त भाग दुकानों के व्यवस्थापन हेतु सम्पूर्ण भारतवर्ष के निवासियों से ऑनलाइन ई-टेंडर आमंत्रित किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है:-

1	Bid submission start date	18-03-2021 at 11:00
2	Bid submission closing date	24-03-2021 at 11:00
3	Technical bid opening date	24-03-2021 at 12:00
4	Financial bid opening date	24-03-2021 at 16:00
5	The place of bid opening	Collectorate Meeting Hall, Chitrakoot

- 3-भाग दुकान हेतु लाइसेंस फीस की धरोहर धनराशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में, जो कि जिला आबकारी अधिकारी, चित्रकूट के नाम देय हो, ही स्वीकार्य किये जायेंगे। प्रत्येक आवेदन के लिए पृथक धरोहर धनराशि जमा करनी आवश्यक होगी। वांछित धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट की स्वप्रमाणित स्कैन प्रति अनिवार्य रूप से ऑनलाइन फाइनेंसियल बिड सेक्शन में अपलोड करनी होगी।
- 4-प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ भाग दुकान हेतु रू0 6,000/- प्रोसेसिंग शुल्क आवेदन प्रक्रिया के रूप में देय होगा।
- 5- लाइसेंस फीस का भुगतान ई-पेमेन्ट के द्वारा विभागीय पोर्टल upexciseonline.in के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन/व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रक्रिया वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर सम्पादित की जायेगी तथा समस्त मदिरा दुकानों हेतु उक्त वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ऑफर/आवेदन किया जा सकेगा। प्रत्येक आवेदक/ऑफरदाता को Digital Signature Certificate (DSC) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी एजेन्सी से अनिवार्य रूप से तैयार करानी होगी तथा www.etender.up.nic.in पर पंजीकरण करना होगा, जिसके माध्यम से वह भाग की दुकान हेतु आवेदन कर सकेगा।

व्यवस्थापन की शेष शर्तें पूर्व के व्यवस्थापन के समान ही रहेगी। इच्छुक आवेदनकर्ता/ऑफरदाता प्री-बिड मीटिंग हेतु दिनांक 19.03.2021 को 16:00 बजे आबकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, चित्रकूट में उपस्थित होकर विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, चित्रकूट एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से प्राप्त कर सकते हैं।


(चित्रकूट)

जिला आबकारी अधिकारी


चित्रकूट

संख्या : 1044 - 40

/तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, चित्रकूट को इस निर्देश से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति जनपद की बेबसाइट पर अपलोड करने के साथ दिनांक 24.03.2021 को होने वाले ई-टेंडर/आफर सम्बन्धित समस्त तकनीकी व्यवस्था पूर्ण कराये।
- 2-आशुलिपिक, जिलाधिकारी चित्रकूट, को इस निर्देश से प्रेषित कि उक्त तिथियों को निर्धारित कार्यक्रम सूचीबद्ध किया जाये।
- 3-जिला आबकारी अधिकारी/समस्त आबकारी निरीक्षक चित्रकूट को इस निर्देश से प्रेषित कि उक्त तिथियों को सम्बन्धित से सम्पर्क रखते हुए समस्त कार्यवाही ससमय एवं सकुशल सम्पन्न कराये।
- 4-विज्ञापन व्यवस्थापक,को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस विज्ञप्ति को अपने समाचार पत्र में सीमित एवं अल्प स्थान में प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं भुगतान हेतु बिल जिला सूचना अधिकारी, चित्रकूट से सत्यापित कराकर उपलब्ध करावें।


(शुभेन्द्र कुमार शुक्ल)
जिलाधिकारी,
चित्रकूट


जिला आबकारी अधिकारी
चित्रकूट

कार्यालय-जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी, चित्रकूट।

पत्रांक- 1073/जि0आ0अ0/चित्रकूट/दे0श0दु0-बरद्वारा व साईपुर/2020-21/दिनांक-मार्च 22/2021

आबकारी दुकानों को दैनिक आधार पर चलाने हेतु

॥ विज्ञप्ति ॥

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या-1071/जि0आ0अ0/चित्रकूट/दे0श0दु0-बरद्वारा व साईपुर/2020-21/दिनांक-22.03.2021 के क्रम में जनपद चित्रकूट में देशी शराब दुकान बरद्वारा व देशी शराब दुकान साईपुर निलम्बित हो गयी है उक्त दुकानों को दैनिक आधार पर 24 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 तक चलाया जाना है। उक्त दुकानों का टेण्डर/आफर द्वारा दुकानों को दैनिक आधार पर व्यवस्थित किया जाना है। जिसके लिये दिनांक 23.03.2021 को प्रातः 10:00 बजे से 24.03.2021 को अपरान्ह 4:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। अधिकतम आफर(एम0जी0क्यू0) दिये जाने वाले को दुकान का आंबटन किया जायेगा। दुकान का विवरण निम्नप्रकार है-

॥ देशी शराब ॥

क्र0 सं0	दुकान का नाम	शाप आई0डी0	प्रास्थिति	निर्धारित वार्षिक एम0जी0क्यू0(ब0ली0 में) 36 प्रतिशत वी/वी के टर्म में	वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस (रू0 में)	दैनिक एम0जी0क्यू0 (ब0ली0 में) 36 प्रतिशत वी/वी के टर्म में	दैनिक बेसिक लाइसेंस फीस(रू0 में)
1	2	3	4	5	6		7
1	बरद्वारा	6927	ग्रामीण	9828	294624.00	27 BL	808.00
2	साईपुर	3447.1	ग्रामीण	14544	479952.00	40 BL	1315.00

उपरोक्त से सम्बन्धित विस्तृत विवरण जनपद की बेबसाईड पर अथवा जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है। अधिक जानकारी के लिये जिला आबकारी अधिकारी, चित्रकूट अथवा क्षेत्रीय निरीक्षकों से सम्पर्क किया जा सकता है।


(चतर सैन)

जिला आबकारी अधिकारी
चित्रकूट


(शुभ्रान्त कुमार शुक्ल)
जिलाधिकारी / ला0प्राधिकारी
जनपद-चित्रकूट

संख्या : /तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, चित्रकूट को इस अनुरोध से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति जनपद की बेबसाईड पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. जिला आबकारी अधिकारी, चित्रकूट एवं समस्त आबकारी निरीक्षक चित्रकूट को इस निर्देश से प्रेषित समस्त कार्यवाही ससमय एवं सकुशल सम्पन्न कराये।
3. विज्ञापन व्यवस्थापक,को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस विज्ञप्ति को अपने समाचार पत्र में सीमित एवं अल्प स्थान(13X13) में प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं भुगतान हेतु बिल जिला सूचना अधिकारी, चित्रकूट से सत्यापित कराकर उपलब्ध करावें।


(चतर सैन) 13/3/21
जिला आबकारी अधिकारी
चित्रकूट